न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा, जिला बून्दी

पीठासीन अधिकारी :— राजेश जोशी, आर.ए.एस.

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
34 / प्रा.पत्र / 2017	24.07.2017	26.04.2018

बृजमोहन बालिग आत्मज श्री नाथूलाल जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेडा (लाडपुर) तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

— प्रार्थी

बनाम

1. मदनलाल आत्मज नाथू जी जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेडा (लाडपुर)
2. हनुमान आत्मज मदनलाल बालिग जाति नाई निवासी भूमाखेडा (लाडपुर) तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

— अप्रार्थीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा भूमि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,92ए,53 राज.टि.एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित — प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र चौधरी
उपस्थित — अप्रार्थीगण की ओर से श्री पदम कासनीवाल

निर्णय

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दावा स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा भूमि के वाद में प्रस्तुत किया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस प्रकार है —

1. प्रार्थी के निजि स्वामित्व व खाते व कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या 804 / 19 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार क्षैत्र लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा यानि 2 बीघा भूमि है। अप्रार्थी कम 1 व 2 पिता पुत्र है इनकी शामलाती भूमि जो मनभर बाई व मदनलाल के नाम उक्त खसरा नं. में ही 2 / 3 हिस्सा थी जिसे उन्होने कैलाश बाई को बेचान कर दिया जिस पर वर्तमान में वह काबिज है। अप्रार्थी कम 1 वादी का भाई व 2 वादी का भतीजा है वह अपने हिस्से की भूमि बेचान कर जबरन वादी के हिस्से की उक्त 2 बीघा भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिनका उन्हे कोई अधिकार नही है जबकि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित अपने हिस्से व खाते की भूमि पर जबरन कब्जा न करने के लिये उन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये। अन्त में प्रार्थना की गई कि

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे।

2. प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण में न्यायालय को निम्न तीन बिन्दु देखने होते है, क्या प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

3. प्रथम दृष्ट्या मामला –

जहां तक प्रश्न प्रथम दृष्टया मामले से संबधित है तो प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है एवं अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि अपने हक व अधिकार की भूमि की सुरक्षा बाबत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

4. सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षतिः–

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि दौराने वाद अप्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया तथा प्रार्थी को जबरन बेदखल कर दिया तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा जिससे प्रार्थी को घोर असुविधा का सामना करना पडेगा। यहा पर यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किये जाते है।

अभी इस स्तर पर प्रथम दृष्ट्या मामले का बिन्दु–सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष निर्णित किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र निम्नप्रकार से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी पर दखलन्दाजी नही करे।

यह आदेश आज दिनांक 26.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद हो।

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा
जिला बून्दी (राज0)

Scanned by CamScanner